भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †1313

सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

साहसिक पर्यटन का सुरक्षा ढांचा

†1313. श्री तंगेला उदय श्रीनिवासः

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान साहसिक पर्यटन क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं, चोटों या मौतों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त मामलों में कोई सुरक्षा संपरीक्षा या जाँच की गई है तथा इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं और क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने साहसिक पर्यटन पर एक मॉडल कानून परिचालित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इसे अपनाने और कार्यान्वित किए जाने संबंधी स्थिति क्या है;

(घ) क्या साहसिक पर्यटन संचालक कंपनियों द्वारा अनिवार्य पंजीकरण और बीमा कवरेज लागू किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए साहसिक पर्यटन गाइडों और संचालक कंपनियों के अनिवार्य प्रशिक्षण, प्रमाणन और लाइसेंसिंग हेतु दिशानिर्देश मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भारत का साहसिक पर्यटन सुरक्षा ढाँचा वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और यदि हाँ, तो प्रस्तावित सुधारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (च): पर्यटन मंत्रालय साहसिक पर्यटन में भाग लेने के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं का डेटा नहीं रखता है।

साहसिक पर्यटन सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन, साहसिक पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सुविधा बढ़ाना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है।

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मॉडल साहसिक सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं, जिनका उद्देश्य पूरे भारत में साहसिक पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक और मानकीकृत ढाँचा स्थापित करना है। ये दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने एवं उन्हें तैयार करने/अद्यतन करने के लिए भेजे गए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे साहस से संबंधित सभी कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों और लाइसेंसिंग मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

****